ई–मेल
अतिमहत्वपूर्ण / विशेषध्यानाकर्षण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव / प्रधानाचार्य,
सत्र 2026–27 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु
नव–आवेदित / पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थाऐं।
(डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला संस्थाओं को छोड़कर)

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / स0वि0 / 2026 / 4430 **लखनऊः दिनांकः** 11/08/2026

विषयः सत्र 2026–27 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः I / 1427734 / 2026 / 16–3099) / 96 / 2025, दिनांकः 11–08–2026 **(संलग्न 01)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2026–27 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किया गया है।

2. उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा सत्र 2026–27 हेतु डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं एवं परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को पी0सी0आई0, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में **दिनांकः 31–08–2026** तक अनिवार्य रूप से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

3. परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्राप्त करने हेतु यू–राईज पोर्टल पर दिए गए लिंक https://urise.up.gov.in/user/dashboard/addemployee के माध्यम से अपनी संस्था में कार्यरत समस्त शैक्षणिक स्टाफ की सूचना (पी0सी0आई0 मानकानुसार) अद्यतन (Update) करने के उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तार हेतु आवेदन करें। संस्था के SU login के माध्यम से संस्था संबंधी समस्त सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए **सत्र 2026–27** हेतु पी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करने के पश्चात् तथा यू–राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क सत्र 2026–27 हेतु दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें।

4. डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्था को नवीन संस्थान प्रारंभ करने हेतु यू–राईज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक **https://urise.up.gov.in/affiliation/nocregistration** के माध्यम से आवश्यक सूचना की प्रविष्टि व संबंधित अभिलेख अपलोड करते हुए (पंजीकरण शुल्क) रू0 5000.00 (रूपया पांच हजार मात्र) **+** (18% जी.एस.टी.) रू0 900.00 (रूपया नौ सौ मात्र)= कुल रू0 5900.00 (रूपया पांच हजार नौ सौ मात्र) ऑनलाईन पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण करते हुये नवीन सम्बद्धता हेतु आवेदन सबमिट कर सकेंगे।

5. नव–आवेदित / पूर्व से सम्बद्ध संस्थान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांकः **31–08–2026 की रात्रि 11:59 बजे** तक कर सकेंगे।

6. नव–आवेदित / पूर्व से सम्बद्ध संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे यू–राईज पोर्टल पर समय से आवेदन करना सुनिश्चित करें।

7. साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में यूराईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन / ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / स0वि0 / 2026 / 4431-37 तद्दिनांकः 11/08/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रमुख सचिव/अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग— 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. नोडल अधिकारी यू—राईज पोर्टल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पोर्टल निर्धारित तिथि तक खोलने का कष्ट करें।
7. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि पत्र परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-I/1427734/2026/16-3099)/96/2025

प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांकः 11-08-2026

विषय:- डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्राशिप/परिषद/स0वि0/2026/4268, दिनांक 30.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-9648/2012 पार्श्वनाथ चैरिटबल ट्रस्ट बनाम आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2026 के अनुपालन में डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30.07.2026 के आलोक में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-9648/2012 पार्श्वनाथ चैरिटबल ट्रस्ट बनाम आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2026 के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की समयावधि को निम्नवत् समय-सारिणी के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

क्रं0 सं0	कार्य विवरण	शासनादेश दिनांक **15.06.2026** द्वारा निर्धारित समयावधि (डिप्लोमा इन फार्मेसी)	संशोधित समयावधि (डिप्लोमा इन फार्मेसी)
1.	यूराईज पोर्टल पर परिषद को सम्बद्धता/ सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की तिथि	30 जून तक	31 अगस्त तक
2.	जनपदीय समिति से स्थलीय निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	10 जुलाई तक	10 सितम्बर तक
3.	परिषद द्वारा सम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बद्धता जारी करने की तिथि	15 जुलाई तक	15 सितम्बर तक

3. कृपया उक्त शासनादेश संख्या- 66/2026/आई/1365004/2026/ 16-3099)/96/2025 दिनांक 15.06.2026 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। यह व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए ही लागू होगी।

भवदीय

Digitally signed by
VINOD KUMAR
Date: 11-08-2026
10:34:33

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री जी प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
11. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।